

स्पीड पोस्ट
आवंटनादेश

संख्या-6/एफ1-308/18 श्र0सं0- 115
बिहार सरकार,
श्रम संसाधन विभाग

प्रेषक,

गोपाल मीणा,
श्रमायुक्त, बिहार ।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी, सहरसा/शेखपुरा/खगड़िया/पटना ।

पटना, दिनांक:- 5-12-18

विषय:-

मुख्य शीर्ष-2230-श्रम तथा रोजगार-01-श्रम-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-मांग संख्या-26-उपशीर्ष-0103-अन्तर्राज्यीय प्रवासी मजदूरों के पुर्नवापसी पर व्यय (विपत्र कोड- 26-2230017890103) के अन्तर्गत निधि का आवंटन ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-3373 दिनांक-14.05.18 के आलोक में चालू वित्तीय वर्ष-2018-19 में 31 मार्च 2019 तक व्यय के निमित्त " बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजनान्तर्गत" अनुदान की राशि रु. 1,00,000/- (रूपये एक लाख) मात्र प्रति मृतक मजदूर की दर से उनके आश्रित को भुगतान हेतु निधि का आवंटन निम्न प्रकार से किया जाता है :-

क्र. सं.	जिला का नाम	मृतक मजदूरों की संख्या	विषयशीर्ष	आवंटित राशि	अभ्युक्ति (मृतक का नाम एवं पता)
1	2	3	4	5	6
1.	सहरसा	05	0103.31.06 सहायक अनुदान-गैर वेतन	500000/- (पाँच लाख)	जिला पदाधिकारी, सहरसा के ज्ञापांक-717 एवं 718 दोनों दि.-22.10.18 एवं 791 दि.-1.12.18 के आलोक में (1) स्व. पप्पू पासवान, आश्रित मसो० पार्वती देवी (पत्नी) ग्राम+पो०-समदा, थाना+प्रखण्ड-सौरबाजार, जिला- सहरसा (2) स्व० राम प्रसाद राम, आश्रित उर्मिला देवी (पत्नी) ग्राम-ओरिया, पो०-मुरादपुर, थाना+प्रखण्ड- नवहट्टा, जिला-सहरसा (3) स्व० चन्द्र किशोर सादा, आश्रित मसो० रीना देवी (पत्नी) ग्राम-भादा, पो० जलसीमा, थाना+प्रखण्ड-सोनवर्षा, जिला-सहरसा (4) स्व० सुभाष सादा, आश्रित मसो० मंजिता देवी(पत्नी) ग्राम-भादा, पो०-जलसीमा, थाना+प्रखण्ड-सोनवर्षा, जिला-सहरसा (5) स्व० अवधेश सादा, आश्रित मसो० ललिता देवी (पत्नी) ग्राम-भादा, पो०-जलसीमा, थाना+प्रखण्ड-सोनवर्षा, जिला- सहरसा के भुगतान हेतु।
2	शेखपुरा	03	तदैव	300000/- (तीन लाख)	जिला पदाधिकारी, शेखपुरा के ज्ञापांक-482 दि.-26.11.18 के आलोक में (1) स्व० दिलीप मोची, आश्रित सुखो देवी(पत्नी) ग्राम+पो०+पंचायत-लोहाण, प्रखण्ड-चेवाड़ा, जिला-शेखपुरा (2) स्व० सरेखवा मांझी, आश्रित तेतर देवी (पत्नी) ग्राम+पो०+पंचायत-लोहाण, प्रखण्ड-चेवाड़ा, जिला-शेखपुरा (3) मृतक-स्व० बौधु मांझी, आश्रित सारदा देवी (पत्नी) ग्राम-गगौरा, पो०-लोहाण, प्रखण्ड-विमान, प्रखण्ड-अरियरी, जिला-शेखपुरा के भुगतान हेतु।

2

3	खगड़िया	01	तदेव	100000/- (एक लाख)	जिला पदाधिकारी, खगड़िया के पत्रांक-605 दि.-26.11.18 के आलोक में (1) स्व० विकेश सदा आश्रित मसो. कारी देवी (पत्नी) अविनाश कुमार (पुत्र) अभिषेक कुमार (पुत्र) विवेक कुमार (पुत्र) कृष्ण कुमार (पुत्र) ग्राम+पो०-पीरनगरा, वार्ड नं०-11 थाना-बेलदोर, जिला-खगड़िया के भुगतान हेतु।
4	पटना	02	तदेव	200000/- (दो लाख)	श्रम अधीक्षक, पटना(2,4) के पत्रांक-3951 दि.-17.11.18 एवं अपर समाहर्ता विशेष कार्यक्रम, पटना के ज्ञापांक-76/श्रम दिनांक-17.11.18 के आलोक में (1) स्व० चनबिहारी मोची आश्रित मो. सावित्री देवी(पत्नी) ग्राम-बाकरपुर पो०-जटडुमरी, थाना+प्रखंड-पुनपुन जिला-पटना (2) स्व० मनोहर पासवान आश्रित मसो. तारो देवी (पत्नी) ग्राम+पो०+थाना+प्रखंड-बेलछी जिला-पटना के भुगतान हेतु।
	कुल	11		1100000/-	

कुल आवंटित राशि ₹ 11,00,000/- (₹ ग्यारह लाख) मात्र ।

2. अनुरोध है कि बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना नियमावली, 2008 के तहत नियमानुसार जाँच पड़ताल कर उन्हीं मृत/आंशिक अपंग/पूर्ण अपंग प्रवासी मजदूरों के वैध आश्रित को भुगतान किया जाय जिन्हें पूर्व में इस हेतु लाभांवित नहीं किया गया हो। भुगतान के पश्चात् इसका उपयोगिता प्रमाण पत्र इस विभाग को फैक्स/स्पीड पोस्ट द्वारा शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट किया जाय।
3. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक-354/वि० दिनांक-28.03.18, 3244/वि. दिनांक-4.5.18 एवं वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापांक-2561/वि०(2) दिनांक-17.04.98 के आलोक में है।
4. इस आवंटित राशि से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जाय। यदि आवंटित राशि से अधिक व्यय किया जाता है तो वह अनियमित होगा।
5. आवंटित राशि से हुए व्यय की सूचना विहित प्रपत्र में आवश्यक टी०भी० नं० तथा तिथि के साथ निकासी के उपरांत अबिलम्ब निश्चित रूप से उपलब्ध करा दें।
6. विभागीय अधिसूचना सं.-1/आई.एम.एल.-06/2016 श्र.सं.-3023 दि.-14.7.16 के आलोक में लाभुकों को अनुदान की राशि का भुगतान RTGS (Real Time Gross Settlement) पद्धति से उनके बैंक खाते में किया जायेगा।
7. यह आवंटन वित्त विभाग, बिहार के पत्रांक-6903 दिनांक-13.09.18 के आलोक में CFMS Software से निर्गत न कर मैनुअली निर्गत किया जा रहा है।
8. यह आवंटन राज्य योजना से संबंधित है।

विश्वासभाजन,
9/5/18/18
(गोपाल मीणा)
श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक-6/एफ1-308/18 श्र०सं०-

115

पटना, दिनांक

5-12-18

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

9/5/18/18
(गोपाल मीणा)
श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक-6/एफ1-308/18 श्र0सं0- 115 पटना, दिनांक- 5-12-18

प्रतिलिपि:-प्रधान सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी/संबंधित उप श्रमायुक्त/संबंधित श्रम अधीक्षक/ प्रशाखा-2 सरकार पक्ष/संयुक्त श्रमायुक्त-01 एवं प्रशाखा-01 को उनके गै.स.प्रे.सं.-490, 494, 498, 499, 502 एवं 510 (श्रम पक्ष) क्रमशः दिनांक-26.11.18, 28.11.2018, 29.11.18, 29.11.18, 03.12.2018 एवं 05.12.18 के आलोक में/आई०टी०मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/ प्रशाखा-6, बजट शाखा (श्रम पक्ष) एवं व्यय विवरणी शाखा प्रशाखा-6 (श्रम पक्ष) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. उपयोगिता प्रमाण-पत्र का संधारण संबंधित योजना शाखा प्रशाखा-01 (श्रमपक्ष) द्वारा किया जायेगा ।

05/12/18
(गोपाल मीणा)
श्रमायुक्त, बिहार।